कार्यालय राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा

REET परीक्षा 2022 के ऑनलाइन गोपनीय कार्यो व् OMR BASED परीक्षा के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य को स्थानीय राज्य (राजस्थान) स्थित फर्मों एवं ब्लैक लिस्टेड फर्मो को छोड़कर अन्य योग्य संवेदकों से कार्य करवाया जाना है , जिनका विवरण निम्नानुसार है –

(A) रोल नंबर जनरेशन , केंद्र आवंटन ,ऑनलाइन प्रवेशपत्र जारी करना , उपस्थिति पत्रक हार्ड कॉपी में जिलेवार एवं केन्द्रवार उपलब्ध करवाना , नोमिनल रोल जिलेवार व् रोल लिस्ट इत्यादि ,

(B) डबल स्कैनिंग (उपस्थित एवं अनुपस्थित) तथा रिजल्ट प्रोसेसिंग के कार्य के साथ योग्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मुद्रण व् नोडल केन्द्रों पर भिजवाने का कार्य इत्यादि |

इस कार्य हेतु योग्य , प्रतिष्ठित व् अनुभवी संवेदक जो कि उपरोक्त कार्यों को संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से करने में सक्षम हो , आवेदन कर सकते है |

जो संवेदक इस कार्य में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हो तथा जिनका पिछले तीन वर्ष का वार्षिक टर्नओवर पार्ट-1 हेतु 1.25 एवं पार्ट-2 के लिए 2 करोड़ से अधिक हो , उनसे निम्न सूचनाये दिनांक 25.06.2022 तक आमंत्रित है | (सूचनाये गोपनीय रखी जाएँगी) |

अधोलिखित सूचनाये मात्र फर्म्स / संवेदकों की शोर्ट लिस्टिंग के काम में ली जायेंगी | शोर्ट लिस्टेड फर्मो से निविदायें अलग से आमंत्रित की जाएँगी |

1. फर्म का नाम, पता व स्वामित्व विवरण फ़ोन व मोबाइल नंबर सहित |
2. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र |
3. फर्म का पिछले 3 साल का चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वर्ष वार वार्षिक टर्नओवर, 3 साल का वर्ष वार चुकाया गया आयकर , GST प्रमाण पत्र |
4. फर्म का कार्यानुभव - गत तीन वर्षों में 10 लाख परीक्षार्थियों का एक साथ अथवा पृथक-पृथक 6 – 6 लाख परीक्षार्थियों का समान प्रकृति का कार्यानुभव |
5. पिछले 3 वर्षो का बोर्ड/विश्वविद्यालय / आयोगों / अन्य राजकीय संस्थाओं का समस्त प्रकृति का कार्य अनुभव |
6. फर्म की सुरक्षा व्यवस्था के मापदंड |

कार्यालय राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा

7. फर्म के मुख्यालय के अतिरिक्त प्रांतीय कार्यालय, यदि हो तो |
8. फर्म की समस्त कार्य की गोपनीयता बनाये रखने की व्यवस्था |
9. OMR BASED रिजल्ट का अनुभव |
10. फर्म के पास उपलब्ध हार्डवेयर (कंप्यूटर, प्रिंटर, ओएमआर स्कैनर विथ इमेज आदि) |
11. फर्म के पास उपलब्ध स्किल्ड व् अनुभवी मैनपावर का विवरण |
12. निविदा शर्त के उलंघन के लिए प्रशासक / अध्यक्ष को क्षतिपूर्ति निर्धारण का पूर्ण अधिकार होगा |
13. अन्य प्रमाणित सूचनाये जो फर्म अपने मामले में विचारार्थ देना चाहे|
14. उपरोक्त सूचनाये तथा फर्म के सम्बन्ध में अन्य समस्त जानकारी इच्छुक फर्म , दो सील्ड कवरो में निम्न पते पर प्रेषित करें - **मंघा राम तोलानी , उप समन्वयक एवं निदेशक गोपनीय, रीट कार्यालय, राजीव गाँधी विद्या भवन, सिविल लाइन अजमेर (राजस्थान) – 305001**

    नोट :- उपरोक्त जानकारी स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही नियत समय तक स्वीकार की जाएँगी , व्यक्तिश स्वीकार नहीं की जाएंगी |
15. सबसे बाहरी कवर पर भेजने वाले का छदम नाम व पता होना चाहिए एवं दूसरे कवर पर भेजने वाले का सही नाम व पता होना चाहिए, इस कवर के अन्दर उपरोक्त जानकारी अन्य विवरण जो फर्म को देने है ||